UPRN010038662026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

पीठासीन अधिकारी– (श्री प्रभा नाथ त्रिपाठी), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06288**

जमानत प्रार्थनापत्र सं०.1512/2026

1– मोहित उर्फ बाबा, उम्र–लगभग 27 वर्ष, पुत्र–प्रमोद कुमार,
निवासी–ग्राम–अरंजहामी, थाना–साढ़, दक्षिणी कमिश्नरेट, कानपुर नगर

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

....अभियोजन

मु०अपराध संख्या–198/2026
धारा–109(1),351(3) भारतीय न्याय संहिता व
धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट
थाना –साढ़, कानपुर नगर।

दिनांक–03.08.2026

01– यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **मोहित उर्फ बाबा** की ओर से मु० अपराध सं०–198/2026, धारा–109(1),351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा– 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना – साढ़, कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुभाष द्वारा थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस बावत पंजीकृत करायी कि *"आज दिनांक–19.06.26 को हमारे गांव जरसरा में आपस में क्रिकेट खेल रहे थे। जिसमें हमारी टीम से सुभाष यानी मैं दिलीप S/O राजेंद्र, आकाश s/o स्व० रघुराज, करन पुत्र दयाराम थे एवं दूसरी टीम में मोहित उर्फ बाबा निवासी ग्राम अरंजहामी, रोहित S/o अमृतलाल ग्राम–अरेंजराम दनादन बाउंड्री को लेकर कहा सुनी हुई और मैच रद्द हो गया। वो वहां से चले गए और हम लोग अपने गांव की सड़क किनारे रुक गए। कुछ देर बाद तीन लोग मोहित, रोहित एवं दनादन अपनी बाइक पल्सर से जिसका वहां नंबर UP78 DC 0767 से हमारे गांव–जरसरा आए तथा हम लोगों से कुछ दूर अपनी गाड़ी खड़ी की। मोहित उर्फ बाबा हमारे पास आया, जिसके हाथ में तमंचा था और तमंचा हमारी और तानते हुए तथा दूसरे हाथ से कमर में लगाई हुई कोई चीज निकाली और हमारी तरफ यह कहता हुआ कि आओ तुम लोगों को देखता हूं, कहते हुए तीन चार बार तमंचे का ट्रिगर दबाया, लेकिन फायर नहीं हुआ। हम लोगों*

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.08.03 16:54:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को तीनों लोग को जान से मारने की नीयत से आए थे अगर फायर हो जाता तो हम इस दुनिया में न होते। जब फायर नहीं हुआ तो हमने तथा हमारे गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए उसका विरोध किया, तो तीनों लोग भागे, जिसमें मोहित भागते हुए गिर गया तथा उसका तमंचा भी गिर गया। मोहित को गिरने में कुछ चोटें भी आई हैं। जिसे गांव वालों द्वारा अस्पताल भेजने के लिए वहां से किसी प्राइवेट वाहन से भेजा गया। मौके पर पुलिस आई जिसके द्वारा अपनी कार्यवाहीं की गई।"

03– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र के माध्यम से इस आशय का कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी गयी बाते नितान्त गलत व मनगढन्त है किसी प्रकार की सत्यता नही है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त केस में नितान्त गलत मनगढन्त कहानी बनाकर झूठा फसाया गया है। सत्यता यह है कि अभियुक्त मोहित उर्फ बाबा ने पहले टीम मैच के कप्तान सुभाष उर्फ दिलीप से 1100/– रू० में तय किया गया था, जिससे अभियुक्त मोहित उर्फ बाबा की टीम ने मैच जीत लिया था, जब मैच जीतने के बाद सुभाष उर्फ दिलीप की टीम से जीत की धनराशि के रूपये 1100/– रू0 मांगे तो वह सुभाष उर्फ दिलीप के टीम के लोगों ने जीत की धनराशि देने से मना किया और गाली–गलौज करते हुये लाठी–डण्डों से मारने पीटने लगे, जिससे अभियुक्त मोहित उर्फ बाबा के शरीर में दस चोटे आई, वह मरणासन स्थिति में होकर वही पर गिर गया और वहाँ पर वादी मुकदमा द्वारा नाजायज तुमंचा अभियुक्त मोहित उर्फ बाबा के पास रख दिया और 112 नम्बर डायल कर पुलिस को बुला लिया। वादी मुकदमा को भय था कि हम लोग इतना मारा–पीटा है, कहीं पुलिस हम लोगों के ऊपर मुकदमा न लिख दे, इसलिये नाजायज तमंचा अभियुक्त मोहित उर्फ बाबा के पास रखा और 112 नम्बर डायल कर दिया। वादी मुकदमा द्वारा पुलिस से सांठ–गांठ करके जो बरामदगी दिखाई गयी वह बिल्कुल फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त मोहित उर्फ बाबा को सी०एच०सी० भीतरगांव कानपुर नगर में दिनांक–19.06.2026 को समय करीब 11:55 बजे भर्ती कराया गया और उसके शरीर पर लगभग दस चोटे आयी थी। यह कि अभियुक्त मोहिल उर्फ बाबा की स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण उसी दिन हैलट अस्पताल कानपुर नगर के लिये रिफर कर दिया गया था। डॉक्टर द्वारा फिर उसका सी०टी० स्कैन किया गया, लेकिन वादी मुकदमा का थाने व हैलट अस्पताल मे प्रभाव होने के कारण दिनांक–19.06.2026 को रिफर कराकर पुलिस द्वारा थाने में मोहित उर्फ बाबा को ले आई और पुलिस द्वारा दिनांक–20.06.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया, जिससे वह अपना पूर्णतया इलाज भी नही करा सका और जेल कारागार, कानपुर देहात में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में कोई भी मुकदमा में सजा याफ्ता नही है। प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात के यहां से जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक–24. 06.2026 को खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा किसी न्यायालय में व उच्च न्यायालय में कोई विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रीमानजी की आज्ञानुसार अपनी जमानत देने को तैयार है। वह जमानत पर छूटने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है।

4– अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से

तमंचे का ट्रिगर दबा दिया पर तमंचा फायर नहीं हुआ और अभियुक्त का तमंचा वहीं गिर गया। जिसकी तहरीर वादी मुकदमा ने थाना हाजा पर दिया था, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना के क्रम में वादी मुकदमा ने अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन करते हुए बयान अंकित कराया एवं अन्य साक्ष्य संकलन हेतु विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करेगा, समय से न्यायालय उपस्थित नहीं होगा, साक्ष्य को प्रभावित करेगा, साक्षीगण को धमकायेगा एवं माननीय न्यायालय के आदेशों निर्देशों का उल्लंघन करेगा। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6– संबंधित पत्रावली पर संलग्न अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि वादी सुभाष द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना पर प्रार्थी/अभियुक्त मोहित उर्फ बाबा व अन्य अभियुक्तगण रोहित व दनादन के विरूद्ध मु०अ०सं०– 198/2026, धारा–109(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर, अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है।

7– तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार उभय पक्ष के मध्य क्रिकेट मैच के दौरान विवाद व कहा–सुनी होने का अभिकथन किया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तीन–चार बार तमन्चे से वादी पक्ष पर फायर किये जाने का भी कथन किया गया है। परन्तु स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट/तहरीर में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार ही तमन्चे से फायर नहीं हुआ तथा प्रार्थी/अभियुक्त भागते हुए गिर गया व उसका तमन्चा भी गिर गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित अग्नेयास्त्र से फायर के परिणाम स्वरूप न तो किसी व्यक्ति को कोई आग्नेयास्त्र की चोटें आयी और न ही आग्नेयास्त्र से फायर ही हो सका है। केस डायरी के साथ संलग्न चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के ही शरीर पर अनेक चोटें पायी गयी हैं तथा अब तक की विवेचना में वादी पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई चोट आने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक–20.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है।

8– अतएव प्रकरण की समस्त तथ्यों व परिस्थितियों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि, अपराध की प्रकृति तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं प्रस्तुत अभियोजन प्रपत्रों के परिप्रेक्ष्य में, मामले के गुण–दोष पर अधिक राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/ अभियुक्त जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मोहित उर्फ बाबा** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/मजिस्ट्रेट की संस्तुष्टि पर मु० 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण के दौरान आहूत किये जाने पर तत्परतापूर्वक उपस्थित होगा

तथा विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सम्यक सहयोग करेगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत प्रकरण के सदृश्य कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण के दौरान किसी साक्षी को डराने–धमकाने अथवा अन्य किसी भांति प्रभावित करने का न तो प्रयत्न करेगा और न ही किसी साक्ष्य से कोई छेड़–छाड़ करेगा या मिटायेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में आरोप व धारा–313 दं०प्र०सं० के कथन अभिलिखित किये जाते समय स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

5. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा और बिना पर्याप्त आधार के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा–299 दं०प्र०सं०के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगा।

उक्त आदेश किसी भी प्रकार से वाद पत्रावली के गुण–दोष पर निस्तारण का भाग नहीं माना जायेगा।

दिनांक–03.08.2026

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
I.D.No– UP06288
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०.2/
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।